ठाकुर जी मूर्ति मन्दिर जी गोपीनाथजी बनाम कैलाशजी

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2012/00013
8/4/22	पत्रावली पेश हुई। सामलाम द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र कायमी रिसीवर स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि ख.नं. 32, 33, 34, 35, 168, 169, 170, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 882, 884, 885, 887, 889, 888/1142 ग्राम मिर्जापुर, ख.नं. 45, 46, 47, 48, 49, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ग्राम गंगापुर पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
124/2012	23.8.2012	8.4.2022

ठाकुरजी मन्दिर मूर्ति श्री गोपीनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी जरिये संरक्षक व्यवस्थापक, पुजारी, महन्तः—

1 रामभरोसी पुत्र स्व0 श्री ब्रम्हानंद, ब्राह्मण नि. लुहार गली गंगापुर (मृतक)
1/1 गोविन्द प्रसाद पुत्र रामभरोसी, ब्राहमण निवासी लुहार गली गंगापुर सिटी
1/2 देवेन्द कुमार पुत्र रामभरोसी, ब्राहमण निवासी लुहार गली गंगापुर सिटी
1/3 बैजनाथ पुत्र रामभरोसी, ब्राहमण निवासी लुहार गली गंगापुर सिटी

——सायलान

बनाम

1 कैलाश पुत्र स्व0 गौरी गोद पुत्र मन्नू, ब्राह्मण निवासी नामनेर मस्जिद के पास गंगापुर सिटी
2 मदन पुत्र स्व0 मन्नू, ब्राह्मण नि. राजकीय उ0प्रा0 विद्यालय नं0 1 के पीछे जयपुर रोड गंगापुर सिटी हाल रिटायर्ड ड्राईवर निवासी जिलाधीश सवाई माधोपुर

3 सुरेन्द्र 4 गोपाल	पुत्रान स्व0 मन्नू जाति ब्राहम्ण निवासी कल्याण शर्मा के मकान के पास कैलाश टाकीज गंगापुर सिटी
5 वेदप्रकाश 6 ओमप्रकाश	पुत्रान जौहरी लाल जाति ब्राह्मण निवासी झालरा कुँआ के पास मूर्ति मौहल्ला गंगापुर सिटी
7 मोहन 8 विजय 9 देवी प्रसाद	पुत्रान स्व0 नवल किशोर जाति महाजन निवासी लेदिया वाले के मकान के पास गणेश नगर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

10 योगेश गुप्ता पुत्र नवलकिशोर, महाजन निवासी बालाजी चौक, छैल बिहारी मास्टर के मकान के पीछे गंगापुर सिटी
11 दिनेश गर्ग पुत्र घनश्याम गर्ग, महाजन निवासी प्रतापनगर कुम्भामार्ग सेक्टर 16 पुलिया के पास जयपुर
12 घनश्याम गर्ग पुत्र श्री हरिप्रसाद, ब्राह्मण निवासी प्रतापनगर कुम्भामार्ग सेक्टर 16 पुलिया के पास जयपुर
13 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार जी तहसील गंगापुर सिटी ——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत् कायमी रिसीवर अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
श्री जे.के. गर्ग, एड. अप्रार्थी संख्या 1,5,6,13,14 की ओर से
श्री भानू सिंहल, एड. अप्रार्थी संख्या 11, 12 की ओर से

निर्णय

सायलान ने प्रार्थना पत्र रिसीवरी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायल ठाकुरजी महाराज मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी की आराजी ख0नं0 45 रकबा 21 ऐयर, 46 रकबा 26 ऐयर, 47 रकबा

कलेक्टर
(स०मा०)

50 ऐयर, 48 रकवा 05 एयर, 49 रकवा 82 ऐयर, 99 रकवा 23 ऐयर, 100 रकबा 45 ऐयर, 101 रकवा 08 ऐयर, 102 रकवा 22 ऐयर, 103 रकवा 36 ऐयर, 104 रकबा 04 ऐयर, 105 रकवा 02 ऐयर, 106 रकवा 73 ऐयर, 107 रकबा 115 ऐयर, 108 रकवा 27 ऐयर, 109 रकवा 44 ऐयर, 396 रकवा 153 ऐयर, 397 रकबा 02 ऐयर, 398 रकवा 24 ऐयर, 399 रकवा 02 ऐयर, 400 रकवा 45 ऐयर, 401 रकवा 88 ऐयर, 402 रकवा 26 ऐयर कुल किता 23 कुल रकबा 9.23 हेक्टर स्थित ग्राम गंगापुर सिटी है। एवं ग्राम मिर्जापुर की आराजी हाल ख0नं0 32 रकवा 44 ऐयर, 33 रकवा 01 ऐयर, 34 रकवा 66 ऐयर, 35 रकबा 48 ऐयर, 168 रकवा 1.58 हेक्टर, 169 रकवा 02 ऐयर, 170 रकवा 39 ऐयर, 866 रकबा 85 ऐयर, 867 रकवा 28 ऐयर, 868 रकवा 38 ऐयर, 869 रकबा 01 ऐयर, 870 रकबा 03 ऐयर, 871 रकबा 57 ऐयर, 872 रकवा 14 ऐयर, 873 रकबा 15 ऐयर, 882 रकवा 30 ऐयर, 883 रकवा 15 ऐयर, 884 रकबा 12 ऐयर, 885 रकवा 05 ऐयर, 887 रकवा 01 ऐयर, 889 रकवा 19 ऐयर, 888/1142 रकवा 06 ऐयर कुल किता 22 रकवा 6.87 हेक्टर स्थित है। जो मन्दिर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त दानो गांवो की आराजीयात से गैरसायल या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई तालुक वास्ता नही है। उपरोक्त आराजीयात का सायल खातेदार टीनेन्ट है। यह कि उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में विभिन्न वाद मननीय न्यायालय से निर्णित हुये है। दावा ठाकुरजी गोपीनाथ जी वनाम रामेश्वर मु0 नं0 248/96 आंशिक स्वीकार कर दिनांक 30.03.1997 को डिक्री किया गया ओर रामेश्वर वनाम ठाकुरजी महाराज श्रीगोपीनाथ जी दावा सं0 253/98 दिनांक 30.03.07 को खारिज कर दिया गया। अपील भू–अभिलेख अधिकारी अलवर द्वारा फैलू वनाम ए0एस0ओ0 गंगापुर सिटी वगैहरा की अपील सं0 27/83 दिनांक 25.02.85 को खारिज कर जमीन ग्राम मिर्जापुर को सायल मन्दिर की मानी। राजस्थान सरकार द्वारा रेवन्यु बोर्ड अजमेर को रेफरेन्स किया उपरोक्त भूमि आराजीयात को मुकदमा को मुकदमा उनवानी सरकार वनाम ठाकुर मन्दिर श्री गोपीनाथ जी नम्बरी 568/84 के फैसला दिनांक 30.07.91 के द्वारा मन्दिर सायल के नाम सम्पूर्ण आराजीयात का रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात आज सायल के नाम दर्ज है। सायल मन्दिर श्रीगोपीनाथ जी महाराज व पूजारी, महन्त, व्यवस्थापक श्री रामभरोसी पुत्र ब्रहमानन्द शर्मा निवासी गंगापुर सिटी है जो मन्दिर की सेवा, पूजा, अर्चना, भोग परसादी की व्यवस्था देखता है। समय समय पर समस्त व्यवस्था भूमि व मन्दिर की रक्षा हेतु कार्य करता चला आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात जो प्रार्थना पत्र के चरण सं0 2 मे दर्ज है सायल के पितामह गिरधर लाल जी को भोग राज में जयपुर राज0 सरकार से माफी मे मिली थी ओर मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी सायल के पितामह खातेदार थे वार्षिक वृति सायल माफी मे महन्त व्यवस्थापक पूजारी के नाम दर्ज है। मूर्ति मंदिर श्रीगोपीनाथ जी के रफीक (नेक्सट फ्रेण्ड) है और मूर्ति की ओर से दावा लाने के अधिकारी है। सायल के परपिच्युअल माईनर होने के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई भी

जिला कलेक्टर
र सिटी (स०मा०)

खातेदारी व अधिकार व कब्जा किसी भी भांति से नही हो सकता है। नाही भूमि का रूपांतरण, किस्म परिवर्तन, निर्माण करने या कब्जा करने, बेचने या खरीदने का किसी भी प्रकार या किस्म का अधिकार हो सकता है। नाही पैदा हो सकता है। सायल परपिच्युल माईनर (शाश्वत नाबलिग) होने के कारण प्रार्थना पत्र के चरण सं0 2 में वर्णित आराजीयात मे गैरसायल सं0 1 ता 14 मन्दिर की भूमि को खरीदने, बेचने के कृत्य के द्वार मन्दिर की भूमि पर नाजायज व जबदस्ती सायल को नुकसान पहुचाने व शाश्वत नाबालिक स्थिति का लाभ उठाने के लिये भूमि की किस्म परिवर्तन कर आवासीय व वाणिज्यिक भूखण्ड काट कर निर्माण कार्य कर आवासीय व वाणिज्यिक निवास व व्यापार कार्य चालू कर दिया है। अनाधिकृत अन्य व्यक्तियो के द्वारा अवैध रूप से रवि व पूजा नामक कॉलोनियों के नाम पर भूखण्ड काट कर बेच दिये है। तथा बेच रहे है। इस प्रकार गैरसायलान सं0 1 ता 14 व अन्य व्यक्तियों के द्वारा सायल की भूमि को नष्ट किया जा रहा है। जो सीधे सीधे सायल के हितो के खिलाफ है। उक्त फर्जीयत की कार्यवाही की जा रही है। जो हर प्रकार से खिलाफ कानूनन व कायदे है। जिस कारण गैरसायलान व अन्य किसी भी व्यक्ति, सदस्य द्वारा जो निर्माण कर लिया है। या कब्जा जमाये बैठे हुये है को उनरोक्त प्रार्थना पत्र के चरण सं.2 मे वर्णित आराजीयात से बेदखल किया जाना आवश्यक है। सायल की उपरोक्त आराजीयात से गैरसायलान या अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति को बेदखल कर उनके खर्चे से निर्माण हटाकर पुनः कृषि योग्य भूमि बनाकर प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। गैरसायल मुठमर्द ताकतवर है जिनकी पहुंच हर प्रकार से उपर है ने सायल की भूमि पर अवैध कब्जा जमाये बैठे है। जो ट्रेस पासर की तारीफ मे आते है से कब्जा वापिस लेने का सायल अधिकारी है। तथा उपरोक्त आराजीयात पर यदि अन्य निर्माण या विक्रय हो जाता है। तो सायल को भूमि से बेदखल करने में अधिक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवरी पेश कर निवेदन है कि सायल की भूमि ख0नं0 45, 46, 47, 48, 49, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 कुल किता 23 कुल रकबा 9.23 हेक्टर स्थित गंगापुर सिटी है एवं भूमि ख0नं0 32, 33, 34, 35, 168, 169, 170, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 882, 883, 884, 885, 887, 889, 888/1142 कुल किता 22 कुल रकबा 6.87 हेक्टर स्थित ग्राम मिर्जापुर को कब्जेराज में लेकर उक्त भूमि मे हो रहे गैसायलान के निर्माणों को हटवाया जावें तथा गैरसायल सं0 15 को उपरोक्त भूमि के बाबत रिसीवर नियुक्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायलान संख्या 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 13 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

गैरसायल संख्या 11 व 12 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि सायल द्वारा गलत तथ्यो का दावा पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मूर्ति मंदिर गोपीनाथ जी बनाम कैलाश वगैरा, प्रा.पत्र रिसीवरी
(4)

34, 168, 169 स्थित ग्राम मिर्जापुर सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नही रही है। बल्कि प्रेम व बुधा पुत्रान पांच्या माली निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी की आराजी रही है जिसके बावत खुलासा विशेष विवरण मे अंकित किया जा रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जिस कदर तहरीर है, गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3, 5, 6 मे अंकित तथ्यों के बारे में मिन गैरसायलान जबावदारान को कोई जानकारी नही है, ना ही मिन जबावदारान उक्त तथाकथित दावो में कोई पक्षकार के रूप में संयोजित ही थे। इस कारण इस मद की बातों का जबाव मिन जबावदारान द्वारा दिया जाना संभव नही है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 गलत होने से स्वीकार नही है। राममरोसी पुत्र ब्रहमानन्द कोई सायल मन्दिर का पुजारी, महन्त, व्यवस्थापक नही है बल्कि मन्दिर की जायदाद को खुर्द बुर्द करने में लगा हुआ है। उसने मन्दिर की विभिन्न जायदादो के सौदे विभिन्न लोगो से मन्दिर की जायदाद को क्षति पहुचाने व अपने आपको व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से कर रखे है। इस तरह उक्त रामभरोसी मन्दिर श्री गोपीनाथ जी का किसी तरह से हितेषी हो ही नही सकता है। ऐसे में उक्त व्यक्ति रामभरोसी को मन्दिर की ओर से दावा लाने का भी कानूनन कोई अधिकार नही रहता है। दिनांक 19.03.1983 के बाद मिन जबावदारान का वादग्रस्त जायदाद के किसी भी भाग से किसी तरह का कोई सरोकार नही रहा है। ऐसे मे मिन जबावदारान द्वारा सायल को कोई धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। सायल का प्राईमा फेसी केस किसी तरह साबित नही है। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में नही है। बल्कि मिन जवावदारान के पक्ष में है। सायल को कोई अपूर्णीय क्षति नही है तथा सायल उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनन कोई अधिकार नही है बदनीयती पूर्वक उक्त प्रार्थना पत्र रिसीवरी पेश किया गया है। जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अपने जबाब के विशेष विवरण में गैरसायलान ने अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में कभी सायल मन्दिर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही हो, ऐसा मिन गैरसायलान जबावदारान की जानकारी में नही है। अलबत्ता सन् 1972 मे आराजी खसरा नम्बर 81/1 रकवा 8 बीघा स्थित ग्राम मिर्जापुर की प्रेम व बुद्धया पुत्रान पॉच्चा माली निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी जिसे उक्त लोगो ने मिन जबावदारान घनश्याम व श्रीमति गीतादेवी पत्नी नवलकिशोर जाति महाजन अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 02 गंगापुर सिटी को जरिये रजिस्ट्री वयनामा

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कब्जा संभलाया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 16.07.73 गैरसायल संख्या 15 द्वारा खोला गया। उसके बाद उक्त आराजी मिन जबावदारान घनश्याम व उक्त श्रीमति गीतादेवी ने खातेदारी व कब्जे काश्त मे सन् 1983 तक रही। जिसे मिन जबावदारा घनश्याम व उक्त श्रीमति गीतादेवी ने दिनांक 19.03.1983 को पवन कुमार पुत्र श्री रामभरोसीलाल महाजन निवासी सपोटरा, ओमप्रकाश पुत्र गणेशलाल महाजन निवासी बार्ड नम्बर 8 गंगापुर सिटी, गिर्राज प्रसाद पुत्र रूपनारायण महाजन निवासी वार्ड नम्बर 4 गंगापुर सिटी, सूरजमल पुत्र श्री भजनलाल माली निवासी मिर्जापुर, हरिप्रसाद पुत्र श्री धन्नालाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी, नवलकिशोर पुत्र श्री धन्नालाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी, रमेशचन्द पुत्र श्री मनोहरलांल ब्राहमण निवासी गंगापुर सिटी व हबीव खां पुत्र श्री छीतरखां ज़ाति मुसलमान निवासी गंगापुर सिटी को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उस समय उक्त आराजी खसरा नम्बर 168, 169 व 34 था। इस तरह दिनांक 19.03.1983 से उक्त आराजी से मिन जबावदारान गैरसायलान का किसी तरह कोई सरोकार नही रहा, ना ही मिन जबावदारान उसके बाद उक्त आराजी पर कभी गये, ना ही इस सम्बन्ध में मिन जबावदारान की कभी किसी से कोई बातचीत हुई, उसके बावजूद भी सायल ने मिन गैरसायलान जबावदारान को गलत तरीके से पक्षकारान बनाते हुये यह गलत दावा व प्रार्थना पत्र रिसीवरी पेश किया है जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रिसीवरी सायल विरूद्ध मिन गैरसायल जबावदारान मय खर्चा खाजिर फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1,5,6,13,14 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि उक्त भूमि का इन्द्राज खातेदारी ठाकुरजी महाराज मूर्ति मंदिर गोपीनाथ जी के हक में गलत चला जा रहा है। उक्त आराजियात पूर्व में कुछ तो नानगा माली की खातेदारी की रही है, कुछ भूमि मनोहरलाल की खातेदारी की भूमि रही है। जागीर रिजेम्पशन के समय उक्त आराजीयात खालसा हो गई व खालसा होने के पश्चात काश्तकारों के हक में इन्द्राज खातेदारी हो गया था, उसके पश्चात पुनः मंदिर के नाम इन्द्राज हो गए जो वोईड इल्लीगल व विदाउट ज्यूरिशिडिक्शन है। उक्त आराजीयात का सायल कोई खातेदार टिनेन्ट नहीं है। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है। विवादित भूमि के लिए जब एक दावा निर्णित हो चुका है अथवा विचाराधीन है तब दूसरा दावा रेस्ज्यूडिकेटा है इस कारण से चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर स्वतः ही निरस्तनीय है। सायल कोई परपीचुअल माईनर

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

नही है बल्कि ज्यूरिस्टक पर्सन है। विवादित भूमि पर खातेदारान नानग्या माली, मनोहर लाल शर्मा व अन्य काश्तकारों का वहैसियत खातेदार कब्जा एकीकरण से पूर्व से ही चला आ रहा है। सायल का कभी कोई कब्जा नही रहा व एकीकरण से अब तक भी सायलान का कब्जा नही रहा। सायल कोई परपीचुअल माईनर नही है। गैरसायल का कब्जा वहैसियत खातेदार रहा है। उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी करीब 20 वर्ष पूर्व निर्मित हो चुकी है। इतने समय से वादी द्वारा उक्त कोई कार्यवाही न करने से सायल दावा लाने को एस्टॉप्ड है। अपने जबाब के विशेष विवरण मे गैरसायलान ने अंकित किया है कि सायल ने दावा व प्रार्थना पत्र रिसीवर ठाकुर मंदिर मूर्ति श्री गोपीनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी जरिये संरक्षक पुजारी व महन्त रामभरोसी व वीरेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्रान स्व0 श्री ब्रहमानन्द जाति ब्राहमण निवासी गंगापुर सिटी की तरफ से विरूद्ध जबावदारान प्रस्तुत किया है, जबकि सायल मंदिर गोपीनाथ जी का ट्रस्टी व पुजारी नही है, न ही उसको दावा हाजा व प्रार्थना पत्र रिसीवरी हाजा लाने का कोई क्षेत्राधिकार है न ही उसका कोई अधिकार है। सायल ट्रस्टी नही है, न ही देवस्थान विभाग ने वादी को दावा करने के लिए ऑथोराईज किया है। सायल ने देवस्थान विभाग को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। इसलिए दावा वादी संचलित योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर खारिज फरमाया जावे। सायल नाबालिक नही है। बल्कि वह ज्यूरिडिस पर्सन है, वह इस माईने में है कि ठाकुरजी सुप्रीम है, और जो सुप्रीम होता है, वह माईनर नागालिक़ नही हो सकता है। ठाकुरजी से अर्चना पूजा की जाती है व समर्पण भाव होता है, जबकि नाबालिक की अर्चना, पूजा नही की जाती, न ही उससे कुछ चाह होती है, जबकि जो सुप्रीम होता है उसी से प्रार्थना की जाती है नाबालिग से नही। इस प्रकार ठाकुरजी को नाबालिक कहना उनकी तोहिन करना है। विवादित भूमि का कभी भी जबावदारान ने सायल को बट नही दिया, बल्कि जबावदारान ने विवादित भूमि का लगान राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदारजी को जमा कराया है। इस प्रकार बट देने वाली बात व बट पर काश्त करने वाली बात पूर्ण रूपेण गलत है। विवादित भूमि कभी भी खुद काश्त मंदिर गोपीनाथ जी की नही रही है इसप्रकार जब कभी मंदिर की खुद काश्त ही नही रही तो वादी का इन्द्राज मंदिर के नाम करा लेना पूर्ण रूपेण गलत है। मंदिर श्री गोपीनाथ जी की कब्जे काश्त की भूमि नही है। न ही संरक्षक व पुजारी की हैसयित से वादी को दावा लाने का कोई अधिकार है। विवादित भूमि में बीसो साल पहले से कॉलोनी का निर्माण होकर मकान बन

जिला कलेक्टर
र सिटी (स०मा०)

चुके है। जिसमें खरीददारों ने लाखों रूपये खर्च कर अपना निर्माण किया है। उन काविज व्यक्तिों को इस प्रकार से मुकदमें के जरिये बेदखल नही किया जा सकता है। राज्य सरकार के इस प्रकार के स्पष्ट सर्कुलर जारी हो चुके है, जिसमे भी यह लक्ष्य अंकित किया है कि जागीर रिजम्शन एक्ट के समय जिन व्यक्तियों का कब्जा था, उन व्यक्तियों के हक में खातेदारी की जानी चाहिए व ऐसे खातेदारों की खातेदारी समाप्त कर माफी मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई है जों मंदिर की खातेदारी समाप्त कर पुनः काविज व्यक्तियों के हक में इन्द्राज खातेदारी करनी चाहिए। इस प्रकार माफी मंदिर के हम में हुए गलत इन्द्राजात के आधार पर वादी को यह दावा व प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी नही बतलाया है कि इस भूमि का जागीर रिजम्पशन के समय किसके हक में इन्द्राजात थे। माफी मंदिर के हक में कब हुए, इस कारण से यह प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण मैन्टेनेवल नही है। माफी मंदिर के नैक्स्ट फ्रेन्ड जो प्रार्थना पत्र लेकर आए है। इनकी नियत में खराबी है व ये काविज व्यक्तियों से नाजायज रूप से रकम हडपना चाहते है। जबकि इस व्यक्तियो के सामने ही निर्माण हुआ था। इन लोगों ने रकम ऐंठने की गरत से ही हम पर झूंठा प्रार्थना पत्र रिसीवर पेश किया है। विवादित भूमि में सैकडो लोगों के मकान बने हुए है। इस प्रकार काबिज व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया गया है। जो आवश्यक पक्षकार है। इन्हे पक्षकार बनाए वगैर रिसीवरी चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर के समर्थन में सायलान ने नकल जमाबंदी संवत 2065–68 खाता संख्या 175 ग्राम मिर्जापुर, नकल जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 95 ग्राम गंगापुर, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मिर्जापुर व गंगापुर प्रस्तुत किये है।

जबाब के समर्थन मे गैरसायल संख्या 11 व 12 ने फोटोकॉपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.7.19772, फोटोकॉपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.8. 1983 प्रस्तुत किये है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायलान के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि गैरसायलान वादग्रस्त भूमि को भूखण्डो के रूप मे विक्रय कर भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने एवं भूमि को खुर्द बुर्द करने पर ऊतारू है जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी मंदिर की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसकी भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नही किया जा सकता है। इसलिए वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी लिया जावे।

ला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

मूर्ति मंदिर गोपीनाथ जी बनाम कैलाश वगैरा, प्रा.पत्र रिसीवरी

(8)

गैरसायल संख्या 11, 12 के विद्वान वकील ने अपने जवाब के अनुसार अपनी बहस में निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे प्रेम व बुद्धया पुत्रान पॉच्या माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिसे इन्होने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र घनश्याम व गीतादेवी महाजन को दिनांक 4.7.73 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। दिनांक 19.3.1983 को मिन जबाबदारान ने यह भूमि पवन कुमार, ओमप्रकाश, गिर्राज प्रसाद, सूरजमल, हरिप्रसाद, नवलकिशोर, रमेशचंद, हबीबखॉ आदि को विक्रय कर भूमि का कब्जा संभला लिया तब से इस भूमि से जबाबदारान का कोई वास्ता नही रहा है। सायलान ने मिन जबाबदारान को गलत पक्षकार बनाया है। इसलिए रिसीवरी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

गैरसायल संख्या 1,5,6 के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि विवादित आराजीय पूर्व मे कुछ तो नानगा माली की खातेदारी की एवं कुछ मनोहरलाल की खातेदारी की भूमि रही है। यह भूमि जागीर रिजम्पशन के समय खालसा हो गयी और काबिज काश्तकारों के हक मे इन्द्राज खातेदारी हो गया। भूप्रबन्ध मे वादग्रस्त भूमि गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई है तो बोईड, इललीगल व विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। इस भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व मे दावें निर्णित हो चुके है। जिनकी अपील राजस्व मंडल मे विचाराधीन है। इसलिए अब यह दावा रेस्जूडीकेटा है। विवादित भूमि मे आवासीय कॉलोनी करीब 20 वर्ष पूर्व ही निर्मित हो चुकी है। सायलान ने इन लोगो से पैसे ऐठने के लिए यह मुकदमा प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2065–2068 के अनुसार ग्राम मिर्जापुर की भूमि ख0न0 32, 33, 34, 35, 168, 169, 170, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 882, 883, 884, 885, 887, 889, 888/1142 कुल किता 22 कुल रकबा 6.87 हेक्टर वर्तमान अभिलेख मे मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2068–71 के अनुसार भूमि ख0नं0 45, 46, 47, 48, 49, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 कुल किता 23 कुल रकबा 9.23 हेक्टर स्थित गंगापुर मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की खातेदारी मे दर्ज है। इस सम्बन्ध मे वर्तमान अभिलेख का अवलोकन सेपाया गया है कि ग्राम गंगापुर का ख0न0 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 वर्तमान मे मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की खातेदारी मे दर्ज नही होकर राधेश्याम, शीला, सुशीला की खातेदारी मे दर्ज है। चूकि गैरसायलान ने वादग्रस्त भूमि का सेटिलमेन्ट से पूर्व विभिन्न खातेदारों की खातेदारी मे दर्ज होने तथा भूमि पर आबादी बसी होने का उल्लेख अपने जबाब मे किया है परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा यह मानना है कि इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद मे विस्तृत साक्ष्य व सबूतों के आधार पर होगा। वर्तमान मे भूमि मंदिर श्री गोपीनाथजी महाराज की खातेदारी मे दर्ज है तथा भूमि के बेस्ट, डेमेज एवं एलिनियेट होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। फलस्वरूप

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

(17)

मूर्ति मंदिर गोपीनाथ जी बनाम कैलाश वगैरा, प्रा.पत्र रिसीवरी

(9)

वादग्रस्त भूमि मे से भूमि ख0न0 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 कुल किता 7 कुल रकबा 3.40 है0 ग्राम गंगापुर जो कि वर्तमान मे मंदिर श्री गोपीनाथजी महाराज की खातेदारी मे दर्ज नही है को छोडते हुए शेष वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी मे लिया जाकर इस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जाना हम उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि ग्राम मिर्जापुर ख0न0 32, 33, 34, 35, 168, 169, 170, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 882, 883, 884, 885, 887, 889, 888/1142 कुल किता 22 कुल रकबा 6.87 हेक्टर एवं ग्राम गंगापुर की भूमि ख0नं0 45, 46, 47, 48, 49, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, कुल किता 16 कुल रकबा 5.83 हेक्टर पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी उपरोक्त वर्णित भूमि को कब्जे राज मे लेकर भूमि की काश्त की व्यवस्था करावे तथा इसका नियमानुसार हिसाब रखे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.4.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)